अतिआवश्यक

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः एफ.2(8)नि.प्र./2011–12/354 दिनांक : 23-11-11

–: परिपत्र :–

राज्य सरकार के निर्देशानुसार विभागीय ऑडिट कमेटी की बैठक माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की अध्यक्षता में आज दिनांक 04.11.11 को प्रातः 11.00 बजे शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार जयपुर के कमेटी कक्ष–2 में सम्पन्न हुई।

उक्त बैठक में प्रस्तावित कार्य सूची के क्रम में निम्नानुसार बिन्दुवार निर्देश जारी किये गयेः–

1. बकाया आक्षेप :–

   (i) **सामान्य आक्षेप** :– सामान्य आक्षेपों की संख्या के अन्तर का मिलान करने के साथ–साथ दिसम्बर 2011 तक 200 आक्षेप एवं आगामी तिमाही रूप से 500 आक्षेप निरस्त करवाने हेतु के निर्देश दिये गये।

   (ii) **गम्भीर प्रारूप प्रालेख** :– बकाया 120 गम्भीर प्रारूप प्रालेखों को गम्भीरता से लिया गया है जिसके संबंध में 5 प्रारूप प्रालेख प्रतिमाह निरस्त करवाने के निर्देश भी दिये गये।

   बैठक में इसे गम्भीरता से लिया गया है। अतः सभी खण्ड/वृत एवं प्रकोष्ठ में बकाया सभी सामान्य एवं प्रारूप प्रालेखों की नवीनतम अनुपालना तैयार कर नियन्त्रण अधिकारी की टिप्पणी सहित तुरन्त प्रभाव से भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि उनके यहां बकाया आक्षेपों को 1590 मार्च 2012 तक निस्तारण हो।

2. अनुबंध की शर्त क्लॉज 2 एवं 3 की पालना सुनिश्चित की जावे। इस तरह के बकाया प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण किया जावें।

3. **निर्माण कार्यों में अन्तिम समयावधि स्वीकृति प्रकरण** :– कार्य के विलम्ब से समाप्ति पर जो स्वविवेक से शास्ती लगाई जाती है उसे गम्भीरता से लेते हुए अनुबंध की शर्तो के आधार पर ही पेनल्टी लगाने के निर्देश दिये गये। इसकी पालना सुनिश्चित की जावे।

4. **रॉयल्टी** :– निर्माण कार्यों के बिलों में रॉयल्टी की कटौती के संबंध में खनन विभाग द्वारा जारी वर्ष 2008 के परिपत्र के अधीन रॉयल्टी की कटौती कर रॉयल्टी विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। रॉयल्टी की कटौती को TDS माना गया है। अतः इसकी स्त्रोत पर कटौती परिपत्र की दरों के अनुसार आवश्यक रूप से करें। यदि किसी अभियन्ता द्वारा इसकी पालना नहीं की जावेगी तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

5. **किराया क्रय पद्धति** :– इस प्रक्रिया के तहत मण्डल द्वारा आवंटित किराया क्रय पद्धति के तहत आवंटित आवासों की बकाया के किस्तों की वसूली के लिए मोनिटरिंग करते हुए बकाया किस्तों की वसूली करना सुनिश्चित करें साथ ही बैंक ऋण के माध्यम से किस्तों की अदायगी करवायी जावे एवं बैंको से ज्पम नच किया जावे ताकि आवंटित आवासों के भुगतान की अदायगी में सुगमता संभव हो सकें।

6. अनिस्तारित सम्पति को Identify करते हुए तुरन्त प्रभाव से निस्तारण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

7. यह प्रकरण ध्यान में आया है कि निविदा एवं नीलामी की सूचना जो अखबार में प्रकाशित करवायी जाती है उनमें मण्डल द्वारा निर्धारित शर्तों एवं विनियमों के अनुसार नहीं होने से अन्तर को गम्भीरता से लिया गया है। अतः भविष्य में एकरूपता के लिए नये दिशा निर्देश जारी करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

8. रिस्क एवं कास्ट प्रकरणों में समय पर वसूली करना सुनिश्चित करें तथा पुराने प्रकरणों की शीघ्र वसूली कर सूचित करें।

9. कर्मचारियों को दी जाने वाली अग्रिम का समायोजन/वसूली समय पर मण्डल द्वारा जारी निर्देशानुसार करना सुनिश्चित करें।

10. विभिन्न वृत/खण्ड कार्यालयों द्वारा 12 प्रथम अनुपालनाएं नहीं भेजे जाने को गम्भीरता से लिया गया है, अतः माह नवम्बर 2011 तक सभी बकाया प्रथम अनुपालना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. मण्डल में बकाया 120 "अ" श्रेणी के प्रारूप प्रालेख में से 12 की प्रथम अनुपालना अभी तक अपेक्षित बताई गयी है, जिसे गम्भीरता से लिया गया है। जो 30 नवम्बर 2011 तक भेजना सुनिश्चित करें एवं शेष सभी बकाया "अ" श्रेणी के प्रारूप प्रालेखों की नवीनतम एवं ठोस अनुपालना तैयार कर नियन्त्रण अधिकारी की टिप्पणी सहित तुरन्त प्रभाव से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

सभी संबंधित को निर्देश दिये जाते है कि सभी बकाया प्रकरणों के निस्तारण की मोनीटरिंग करते हुए तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

इसे अतिआवश्यक समझें।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजि सचिव – आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजि सहायक – सचिव/वि0स0 एवं मु0लेखाधिकारी, रा.आ.म., जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–I/II/III/पी.एण्ड.एम., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत ....., राजस्थान आवासन मण्डल
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड ....., राजस्थान आवासन मण्डल
7. प्रकोष्ठ प्रभारी (मुख्यालय) A.C.P. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

मण्डल की Web-site पर डलवावें।

वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्यलेखाधिकारी